GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
ORDNANCE FACTORY BOARD
AYUDH BHAVAN
10-A, SHAHEED KHUDIRAM BOSE ROAD
KOLKATA-700 001

OFB

TEL : (033) 22485077-80 FAX:(033) 22487822

288/RR/SRO/MTS/Per/NI

Date 06/02/2019

To
The Sr. General Manager / General Manager
All Ordnance & Ordnance Equipment Factories

Sub : Framing of SRO in respect of Multi-Tasking Staff, Group 'C' Non-industrial posts in Ordnance and Ordnance Equipment Factories and other offices and establishments in Ordnance Factories Organisation.

****

Please find enclosed herewith a copy of Gazette Notification vide notifying publication of SRO 25 dated 16th April, 2018 for the post of Multi-Tasking Staff, Group 'C' Non-industrial posts in terms of the instructions contained in DoPT OM No. AB-14017/61/2008-Estt(RR) dated 27.02.2015, the notified recruitment Rules for the post(s) mentioned as above of earlier SRO related to the above posts circulated for information and necessary action please.

Kindly acknowledge receipt.

Encl.: Copy of SRO 25 Dated 16th April, 2018.

(H.K.Paikra)
DIR/IR
For Director General, Ordnance Factories

Copy to :-
1. Chairman's Sectt., OFB Kolkata.
2. All Members, OFB Kolkata.
3. The Addl. DGOF/AV Hqrs. Avadi.
4. The Addl. DGOF/OEF Hqrs, Kanpur.
5. Sr. Principal Director, NADP, Ambajhari.
6. Principal Director /OFILs, RCSs, RMCs & OFRC.
7. Principal Controller of Accounts (Fys), Kolkata
8. Section : Per/NG, Per/Policy and Per/IR.
9. All Staff side Members of JCM-III level.
10. Instruction File.

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 8] नई दिल्ली, अप्रैल 22—अप्रैल 28, 2018, शनिवार/वैशाख 2— वैशाख 8, 1940

No. 8] NEW DELHI, APRIL 22—APRIL 28, 2018, SATURDAY/ VAISAKHA 2— VAISAKHA 8, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश

Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2018

का.नि.आ. 25.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आर्डनेंस और आर्डनेंस उपस्कर फैक्टरी, बहुकार्य कर्मचारिवृंद समूह 'ग' अनौद्योगिक पद (भर्ती) नियम, 2012 संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आर्डनेंस और आर्डनेंस उपस्कर फैक्टरी वहु-कार्य कर्मचारिवृंद, समूह 'ग' अनौद्योगिक पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आर्डनेंस और आर्डनेंस उपस्कर फैक्टरी बहु कार्य कर्मचारिवृंद समूह 'ग' अनौद्योगिक पद (भर्ती) नियम, 2012 में,

(अ) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।"

(आ) उक्त अनुसूची में,-

(क) स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्षक और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्

"वेतन मैट्रिक्स में सत्र
(4)
स्तर-1 (18000-56900 रु.)"

[फा. सं. 41(3)/2018-डी (स्था./एनजी)]
संजय रावत, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4, तारीख 4 अगस्त, 2012 में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 57, तारीख 19 जुलाई, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 16th April, 2018

S.R.O. 25.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ordnance and Ordnance Equipment Factories Multi-Tasking Staff, Group 'C' Non-industrial posts (Recruitment) Rules, 2012, namely:-

1. (1) These rules may be called the Ordnance and Ordnance Equipment Factories Multi-Tasking Staff, Group 'C' Non-industrial posts Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ordnance and Ordnance Equipment Factories Multi-Tasking Staff, Group 'C' Non-industrial posts (Recruitment) Rules, 2012,-

(A) for rule 2, the following rule shall be substituted, namely :-

"2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules."

(B) In the Schedule,-

(a) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely :-

"Level in pay matrix
(4)
Level- 1 (Rs. 18000-56900)".

[F. No. 41(3)/2018-D(Estt./NG)]

SANJAY RAWAT, Under Secy.

Foot Note : The Principal rules were published vide notification number S.R.O. 57, dated the19th July, 2012 in the Gazette of India, Part-II section 4 dated the 4th August, 2012.

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2018

का.नि.आ. 26.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, सेना सिविलियन मोटर ड्राइवर समूह "ग" पद भर्ती नियम, 2005 को, जहां तक उनका संबंध सिविलियन मोटर ड्राइवर (विशेष श्रेणी) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, एकीकृत रक्षा कर्मचारिवृंद मुख्यालय के अधीन स्थापनों में सिविलियन मोटर ड्राइवर (विशेष श्रेणी), समूह "ख", अराजपत्रित पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, एकीकृत रक्षा कर्मचारिवृंद मुख्यालय के अधीन स्थापन, सिविलियन मोटर ड्राइवर (विशेष श्रेणी), समूह "ख", अराजपत्रित पद भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।